Ø/C

सत्यमेव जयते

# न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

## COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 41 / 1084 / 12–13 दिनांक: 12 .05.2017

के मामले में :–

श्री दीपक राव, R982
नई आबादी, टीन का नगला,
प्यारे लाल धांधूपुरा रोड,ताजगंज,
आगरा, उत्तर प्रदेश – शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, R983
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय,
3079 / 3, जेबी टीटो मार्ग,
सादिक नगर, नई दिल्ली–110049 – प्रतिवादी संख्या 1

सचिव, R984
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001 .... प्रतिवादी संख्या 2

**सुनवाई की तारीख:** 12.01.2016, 05.01.2017

उपस्थित:

12.01.2016

1. श्री दीपक राव, शिकायतकर्ता ।
2. श्री ए. के. पांडे, अवर सचिव, प्रतिवादी 2 की ओर से ।
2. सर्वश्री बी.के. पांडे, डीजीएम (आरएस), आर.ए. कुलकर्णी, सीएम (आरएस), संजीव दीवान, सीनियर मैनेजर (लॉ) प्रतिवादी की ओर से।

14C

05.01.2017

1. श्री दीपक राव, शिकायतकर्ता ।
3. सर्वश्री अलोक त्रिपाठी, निदेशक और मुकेश धीमन, उप महाप्रबंधक, प्रतिवादी की ओर से।

## आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 45 प्रतिशत अस्थिबाधित ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत रिटेल आउटलैट (पेट्रोल पम्प) का आबंटन न किए जाने से संबंधित दिनांक रहित शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की जोकि इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2013 को प्राप्त हुई ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने दिनांक 17.12.2010 को इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की डीलरशिप के आबंट हेतु विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित स्थान 2289 कि.मी. से 232 कि.मी. स्टोन एस.एच. 39 जागनेर रोड, आगरा के लिए आवेदन किया था । दिनांक 04.04.2012 को हुए साक्षात्कार में उसे 22.70 अंक देकर अयोग्य घोषित कर दिया गया । हालांकि उक्त श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाला वह अकेला उम्मीदवार था । उक्त संबंध में शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.05.2012 को पेट्रोलिय एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राष्ट्रपति हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी एवं अपने हित में आर्थिक क्षमताओं की पूर्ति हेतु कार्पस फंड योजना लागू करने की मांग की । दिनांक 27.10.2012 को पुनः उपरोक्त पोर्टल के अंतर्गत शिकायत दर्ज करायी ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ अधिनियिम की धारा 59 के अधीन इस न्यायालय के पत्र दिनांक 10.02.2015 के द्वारा उठाया गया । तत्पश्चात् उक्त मामले को इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया ।

4. प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2015 एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2015 द्वारा अपने टिप्पण भेजे और शिकायतकर्ता ने अपने पत्र कमशः दिनांक 02.11.2015 तथा 07.12.2015 द्वारा अपना रिज्वाइंडर भेजा ।

5. प्रतिवादी संख्या 01 के के पत्र दिनांक 10.02.2015 एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पत्र दिनांक 16.09.2015 और शिकायतकर्ता के पत्रों कमशः दिनांक 02.11.2015 तथा 07. 12.2015 के मद्देनजर मामले की सुनवाई दिनांक 12.01.2016 को निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 12.01.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने दिनांक 17.12.2010 के अमर उजाला समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की डीलरशिप के आवंटन हेतु विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित स्थान 228 कि.मी. से 232 कि.मी. स्टोन एस.एच. 39 जागनेर रोड, आगरा के लिए आवेदन किया था । उन्होंने दिनांक 04.04.2012 को दिए गए साक्षात्कार में साक्षात्कार बोर्ड द्वारा दी गई अंक सूची भी प्रस्तुत की जिसमें उसे 22.70 अंक देकर अयोग्य घोषित कर दिया गया था । उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अंक सूची में 'Capability to provide land & infrastructure' मद के अन्तर्गत शून्य अंक दिए गए जबकि उसे अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों आदि के

समान समझा जाना चाहिए था जिन्हें ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तत्पश्चात् उन्होंने इस न्यायालय में शिकायत फाइल की जो इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2013 को प्राप्त हुई । उन्होंने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि उन्हें भी रिटेल आउलेट (पैट्रोल पम्प) हेतु वित्तीय कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्पस फंड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।

7. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या–2) की ओर से उपस्थित श्री ए. के. पांडे, अवर सचिव का निवेदन था कि शिकायतकर्ता श्री दीपक राव ने विकलांगजन कोटे के तहत आवेदन किया था जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केटेगरी के लिए आरक्षण पृथक् केटेगरी के अधीन था । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक् कोटा और पृथक् स्कीम हैं और चूंकि शिकायतकर्ता विकलांगजन कोटे के अधीन मानदंड को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अंक नहीं दिए गए और वह सफल नहीं हो सका । शिकायतकर्ता की यह उपधारणा कि उसे विकलांगजन कोटे के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केटेगरी के फायदे दिए जाएं, सही नहीं है । विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया था कि विकलांगजन कोटे के अधीन चयन हेतु निश्चित मानक निर्धारित हैं, जिनको वह पूरा नहीं करता है, इसलिए उसका चयन नहीं किया गया ।

8. सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा विकलांगजन अधिनियम की धारा 43 का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि का निम्नलिखित के लिए अधिमानी आबंटन करने के लिए स्कीमें बनाएंगे, अर्थात् :–

(क) गृह,
(ख) कारबार की स्थापना,
(ग) विशेष आमोद–प्रमोद केन्द्रों की स्थापना,
(घ) विशेष विद्यालयों की स्थापना,
(ड.) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना,
(च) निःशक्त उद्यमकर्ताओं द्वारा कारखानों की स्थापना ।

9. इस न्यायालय ने प्रतिवादी से पूछा कि क्या उन्होंने अपने दिनांक 21.05.2014 के दिशा–निर्देशों को बनाते समय इस न्यायालय द्वारा मामला संख्या 115/1092/12–13

एवं 35/1084/12–13 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2013 के पैरा 10 में वर्णित निर्देशों को ध्यान मे रखा था। प्रतिवादी से यह भी पूछा गया कि उनके द्वारा संयुक्त केटेगरी में तीन श्रेणिया रखी गई हैं, अर्थात् (i) विकलांग व्यक्ति (पी एच), (ii) प्रतिभाशाली खेल–कूद व्यक्ति (ओ एस पी) और (iii) स्वतंत्रता सेनानी (एफ एफ) और तीनों श्रेणियों को मिलाते हुए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विकलांगजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में वे अपना स्पष्टीकरण दें । प्रतिवादी ने उपरोक्त तथ्यों पर उत्तर देने हेतु 30 दिन का समय प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया ।

10 अतः प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि वे इन कार्यवाहियों के अभिलेख की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपने टिप्पण निम्नलिखित सूचनाओं के साथ इस न्यायालय में दायर करें:–

(i) दिनांक 31.10.2013 के उपरोक्त आदेश के पैरा 10 में दिए गए निर्देशों के बावजूद, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देश दिनांक 21.05.2014 प्रतिकूल हैं क्योंकि उन्होंने तीन प्रवर्गों को दो प्रवर्गों में समायोजित कर दिया गया है ।

(ii) रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पंप) का आबंट करने की विभिन्न प्रवर्गों की स्कीमें कब बनी हैं ।

(iii) किस तारीख से विकलांगजनों को इन स्कीमों का फायदा दिया जा रहा है ।

11. इस संबंध में प्रतिवादी का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की जाएंगी ।

12. शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 21.06.2016 एव प्रतिवादी सं. 2 के पत्र दिनांक 12.07.2016 तथा प्रतिवादी सं. 1 के पत्र दिनांक 27.09.2016 के मद्देनजर सुनवाई 05.01.2017 को निर्धारित की गई ।

13. दिनांक 05.01.2017 को को शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादी का यह कथन कि वह विकलांगजन के लिए निर्धारिति मानक पूर्ण नहीं करता, सही नहीं है । जबकि प्रतिवादी ने उनसे विकलांगजन कोटे के अंतर्गत आवेदन शुल्क मात्र 500/– रूपए वसूल किए जोकि अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है । उन्होंने न्यायालय ये प्रार्थना की है कि रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्न) के आवंटन हेतु वित्तीय कठिनाईयों के निवारण हेतु कार्पस फण्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएं ।

14. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता का मामला वर्ष 2010 में लागू होने वाले रिटेल आउटलैट चयन दिशा–निर्देशों द्वारा शासित होता है, जिसमें 5 प्रतिशत के आरक्षण का उपबंध विकलांगजनों के लिए अलग से किया गया था तथापि, विकलांगजन कैटेगरी के अधीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयल मार्केटिंग कंपनी (आईओसीएल) से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं थे यह फायदा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केटेगरी के अधीन विज्ञापित स्थान के लिए विस्तारित किया जा सकता है । रिटेल आउटलैट चयकन पालिसी दिशा–निर्देश दिनांक 20.0702012 में संशोधित किए गए थे जिनमें विकलांग केटेगरी को ओएसपी और एफएफ केटेगरी के साथ जोड़ा गया था और 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था । वर्ष 2014 की याचिका सीडब्ल्यूपी 3399 तमिलनाडु दिव्यांग परिसंघ, धर्मार्थ न्यास बनाम एमओपीएनजी और अन्य पीएचश्रेणी के तहत कोटे के आरक्षण के मुद्दे पर मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय तमिलनाडु के समक्ष दायर की गई थी । इस याचिका को दिनांक 19.12.2014 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ निपटाया गया कि 4 प्रतिशत श्रेणी मे से न्यूनतम 3 प्रतिशत अनन्यतः दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए जाना चाहिए । उक्त आदेश से व्यथित होकर एमओपीएनजी ने भारतीय के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2015 की एसएलपी सं. 6231 दायर की है जिसमें दिनांक 09.03.2015 के आदेश द्वारा पक्षकारों के बीच यथास्थिति बनाए रखने का निदेश दिया गया है । वर्ष 2014 में श्रीमती गायत्री देवी और अन्यों ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के चयन के लिए दिनांक 13.10.2014 के विज्ञापन को चुनौती देने हुए उच्च न्याययालय मद्रास के समक्ष वर्ष 2014 में रिट याचिकाएं दायर की थी कि प्रतिवादियों को महिला श्रेणी के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने के लिएं निर्देश दिए जाएं । माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने दिनांक 22.12.2015 के आदेश द्वारा इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया

था जिनके विरूद्ध श्रीमती टी. गायत्री देवी और अन्यों ने पीएच, ओएसपी औरएफएफ श्रेणियों के लिए सयुक्त आरक्षण के कानून के उसी मुद्दे को उठाते हुए अब भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या 4908–4910 दायर की है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26.02.2016 के आदेश से विशेष अनुमति याचिका 2016 की 4908–4910 संख्या को विशेष अनुमति याचिका संख्या 6231/2015 के साथ संलग्न कर दी और सभी मामले अभी तक लंबित हैं । वर्तमान दिशा'–निर्देशों के अधीन शिकायतकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि चयन विज्ञापन वर्ष 2010 में दिया गया था । यदि शिकायतकर्ता वित्तीय सहायता स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उस उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केटेगरी में निर्धारित स्थानों के अधीन आवेदन करना चाहिए । जब कभी ऐसे विज्ञापन प्रकाशित हों ता शिकायतकर्ता को संबंधित केटेगरी के अधीन ओएमसी की भविष्य में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के अधीन आवेदन करना चाहिए ।

15. पक्षकारों को सुनने और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिव्यांगजनों को पेट्रोल पम्प आबंटन में दिव्यांगजन अधिनियम,1995 के उपबंधों के अनुसार रोस्टर बनाए । प्रतिवादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि पेट्रोल पम्पों के आबंटन में दिव्यांगजनों के लिए 3 प्रतिक्षत आरक्षण का अनुसरण करे ।

16. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

कमलेश कुमार

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन